

|                                                                                                   |                                                                                                       |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>सत्यमेव जयते | <b>राजस्थान राजपत्र</b><br><b>विशेषांक</b>                                                            | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><b>Extraordinary</b> |
|                                                                                                   | <b>साधिकार प्रकाशित</b>                                                                               | <b>Published by Authority</b>                    |
|                                                                                                   | कार्तिक 21, बुधवार, शाके 1947- नवम्बर 12, 2025<br>Kartika 21, Wednesday, Saka 1947- November 12, 2025 |                                                  |

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 10, 2025

**जी.एस.आर.99 :-**भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. नियम 2 का संशोधन.-** राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1967, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में, विद्यमान खण्ड (क) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ख) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (कक) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(कक) “बोर्ड” से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है;”

**3. नियम 7 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 7 के उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “नियुक्ति प्राधिकारी”, के स्थान पर अभिव्यक्ति “नियुक्ति प्राधिकारी/बोर्ड” प्रतिस्थापित की जायेगी।

**4. नियम 14 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 14 में,-

- विद्यमान अभिव्यक्ति “आयोग/नियुक्ति प्राधिकारी” के स्थान पर, अभिव्यक्ति “आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी” प्रतिस्थापित की जायेगी।
- खण्ड (क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति “आयोग”, जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर, अभिव्यक्ति “आयोग/बोर्ड” प्रतिस्थापित की जायेगी।

**5. नियम 16 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 16 में,

- विद्यमान अभिव्यक्ति “आयोग”, जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर, अभिव्यक्ति “आयोग/बोर्ड” प्रतिस्थापित की जायेगी; और

- (ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये," के स्थान पर अभिव्यक्ति "यदि उन्हें/उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के पूर्व प्राप्त हो जाये," प्रतिस्थापित की जायेगी।

**6. नियम 17 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 17 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर, अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**7. नियम 18 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 18 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर, अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**8. नियम 19 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 19 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर, अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**9. नियम 20 का संशोधन.-** उक्त नियमों के नियम 20 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आयोग" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर, अभिव्यक्ति "आयोग/बोर्ड" प्रतिस्थापित की जायेगी।

**10. अनुसूची-1 का संशोधन.-** उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-1 में, शीर्ष ग्रुप-III के अधीन, विद्यमान क्रम संख्यांक 3 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्:-

"

|    |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | पटवारी | 100% सीधी भर्ती द्वारा | <p>(i) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य कोई समतुल्य अर्हता; और</p> <p>(ii) इलैक्ट्रॉनिक विभाग, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन एनआईईएलआईटी, नई दिल्ली/ डीओइएसीसी द्वारा संचालित "o" या उच्चतर स्तर का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम ।</p> <p>या</p> <p>व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम के राष्ट्रीय/राज्य परिषद् के अधीन आयोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक (सीओपीए)/ डाटा प्रेपरेशन और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर (डीपीसीएस) प्रमाणपत्र।</p> <p>या</p> <p>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री/डिप्लोमा।</p> <p>या</p> <p>सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा।</p> <p>या</p> <p>भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी और प्रोद्योगिकी की किसी शाखा में डिग्री।</p> <p>या</p> <p>वर्द्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नियंत्रणाधीन संचालित राजस्थान राज्य सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (रा.रा.सू.प्रौ.प्र.पा.)।</p> |
|----|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>या</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी या इसके समतुल्य परीक्षा साथ में विषयों में से एक के रूप में कम्प्यूटर विज्ञान/कम्प्यूटर एप्लीकेशन</p> <p>या</p> <p>सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई उच्चतर या समतुल्य अर्हता।</p> <p><b>स्पष्टीकरण:</b> किसी अभ्यर्थी द्वारा रखी गयी कम्प्यूटर की अर्हता या उच्चतर अर्हता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या, यथास्थिति नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**11. अनुसूची-III का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-III के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

**“पटवारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्कीम और पाठ्य विवरण**

**1. परीक्षा की स्कीम:-** निम्नलिखित विषयों को समाविष्ट करते हुए परीक्षा में तीन घण्टे की अवधि का एक प्रश्नपत्र सम्मिलित होगा:-

| विषय                                                                                    | अधिमान |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| सामान्य विज्ञान; इतिहास, भारत का भूगोल और राज्य-व्यवस्था: सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले | 25     |
| भूगोल, इतिहास, संस्कृति और राजस्थान की राज्य-व्यवस्था                                   | 20     |
| सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिन्दी                                                      | 15     |
| मानसिक योग्यता और तर्कशक्ति, आधारभूत संख्यात्मक दक्षता                                  | 30     |
| आधारभूत कम्प्यूटर                                                                       | 10     |

**टिप्पणी:**

1. परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंक उनके योग्यता क्रम को अवधारित करने के लिए संगणना में लिये जायेंगे।

2. परीक्षा में वस्तुनिष्ठ, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न अंतर्विष्ट होंगे। इसमें ऋणात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जायेगा।

3. प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हता अंक 40% होंगे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए ये अंक 5% तक शिथिल किये जायेंगे।

**(पटवारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण)**

**1. सामान्य विज्ञान:** भारत का इतिहास, भूगोल और उसकी राज्य-व्यवस्था; सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले

- विज्ञान के सामान्य सिद्धांत और दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, भोजन और पोषण, स्वास्थ्य देखरेख।

- प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास की मुख्य विशेषताएं और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं। (18 वीं सदी के मध्य से वर्तमान तक)
- भारतीय संविधान, राजनैतिक प्रणाली और शासन प्रणाली, संवैधानिक विकास
- भारत की भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और उनके प्रभाव।
- समसामयिक राष्ट्रीय घटनाएं।

## 2. राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति और उसकी राज्य-व्यवस्था

- राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं।
- राजस्थान के राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोकनीति की प्रशासनिक प्रणाली
- सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे।
- स्वतंत्रता आंदोलन, लोक जागृति और राजनैतिक एकीकरण।
- लोककला, चित्रकारी और हस्तशिल्प और वास्तुशिल्प।
- मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य ।
- राजस्थानी संस्कृति और धरोहर, साहित्य।
- राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत और लोक देवता।
- महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल ।
- राजस्थान की प्रमुख शक्तिसयतें।

## 3. सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिन्दी

### (i) सामान्य हिन्दी:-

- दिये गये शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि-विच्छेद ।
- उपसर्ग एवं प्रत्यय इनके संयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एक प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान।
- समस्त (सामासिक) पद की रचना करना, समस्त (सामासिक) पद का विग्रह करना।
- शब्द युग्मों का अर्थ भेद।
- पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द।
- शब्द शुद्धि दिये गये अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना।
- वाक्य शुद्धि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणীয় अशुद्धियों का शुद्धिकरण।
- वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द।
- पारिभाषिक शब्दावली-प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिन्दी शब्द ।
- मुहावरे एवं लोकोक्ति

## (ii) सामान्य अंग्रेजी

- अनदेखे पाठ्यांश का बोध।
- सामान्य त्रुटियों का सुधार; सही प्रयोग।
- समानार्थी/विपरीतार्थी।
- वाक्यांश और मुहावरे।

## 4. मानसिक योग्यता और तर्कशक्ति, आधारभूत संख्यात्मक दक्षता

- सीरीज/एनालॉजी बनाना।
- मेट्रिक्स प्रश्नों को सुलझाना, वर्गीकरण।
- वर्णमाला परीक्षण।
- पाठ्यांश और निष्कर्ष
- रक्त संबंध।
- कोडिंग-डिकोडिंग
- दिशा बोध परीक्षण।
- बैठक व्यवस्था।
- इनपुट आउटपुट ।
- संख्या रैंकिंग और फोर स्क्वायर।
- निर्णय लेना।
- शब्दों की तार्किक व्यवस्था।
- लुप्त अक्षर/संख्या अंतःस्थापित करना।
- गणितीय संक्रियाएं, औसत, अनुपात।
- क्षेत्रफल और आयतन।
- प्रतिशत।
- साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज ।
- यूनितरी मेथड।
- लाभ और हानि।

## 5. आधारभूत कम्प्यूटर

- कम्प्यूटर की विशेषताएं।
- रेम, रोम, फाईल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध को सम्मिलित करते हुए कम्प्यूटर संगठन।
- ऑपरेटिंग सिस्टम
- एम.एस. ऑफिस (वर्ड, एक्सल/स्प्रेडशीट, पावर पॉइन्ट का एक्सपोजर)।”

**12. अनुसची-III-क का प्रतिस्थापन.-** उक्त नियमों से संलग्न अनुसची-III-क के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“पटवारी के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के लिए स्कीम और पाठ्य विवरण

**1. परीक्षा की स्कीम:** परीक्षा में तीन घण्टे की समयावधि का एक प्रश्नपत्र होगा जिसमें निम्नलिखित विषय अन्तर्विष्ट होंगे:-

| क्रम सं. | प्रश्नपत्र का नाम                                  | अंक |
|----------|----------------------------------------------------|-----|
| 1.       | अंकगणित और मेन्सुरेशन                              | 100 |
| 2.       | अधिकार अभिलेख एवं मानचित्रण                        | 50  |
| 3.       | शुद्धकरण और खतौनी                                  | 100 |
| 4.       | सिंचाई एवं जल निकासी अधिनियम और राजस्व मैनुअल      | 100 |
| 5.       | सिंचाई सुधार उद्ग्रहण की वसूली                     | 50  |
| 6.       | आधारभूत कम्प्यूटर                                  | 50  |
| 7.       | राजस्थान का भूगोल, संस्कृति और उसकी राज्य-व्यवस्था | 50  |

प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक अंक **36%** होंगे।

### पाठ्य विवरण

**1. अंकगणित और मेन्सुरेशन:** यह प्रश्नपत्र माध्यमिक स्तर का होगा।

#### (i) अंकगणित

- (1) सरलीकरण।
- (2) वर्ग।
- (3) दशमलव (गुणा और भाग)।
- (4) प्रतिशत की गणना और लाभ और हानि ।
- (5) ब्याज (साधारण और चक्रवृद्धि)।
- (6) कार्य, समय और मजदूरी
- (7) माध्यमिक स्तर का अन्य कोई प्रश्न।

#### (ii) मेन्सुरेशन:

- (1) लम्बाई, क्षेत्रफल और मात्रा परिकलन।
- (2) माध्यमिक स्तर की ज्यामितीय आकृतियों का परिधि परिमाप
- (3) बीघा, बीसवा आदि का एकड़ और हेक्टेयर में परिवर्तन ।

#### 2. अधिकार अभिलेख और मानचित्रण:

- (1) क्षेत्रफल एवं ज्यामितीय आकृतियों के रेखाचित्र बनाना।
- (2) फील्ड बुक में सर्वेक्षण कार्य की प्रविष्टियां और सर्वेक्षण रिकॉर्ड के चित्रण के क्षेत्रफल आदि का परिकलन।

(3) नहर का रास्ता, सड़कें, अनकमाण्ड में आबादी, रेलवे लाईन आदि।

**3. शुद्धकरण और खतौनी:** इस प्रश्नपत्र में शुद्धकरण में प्रविष्टि, खतौनी ढालबाच पर्चेसम की तैयारी और शुद्धकरण और खतौनी से संबंधित अन्य अभिलेख अंतर्विष्ट होंगे।

**4. सिंचाई जल निकासी अधिनियम और राजस्व मैनुअल:** इस प्रश्नपत्र में राजस्थान सिंचाई और जल निकासी अधिनियम, 1954, राजस्थान सिंचाई और जल निकासी नियम 1955, और अद्यतन संशोधन से संबंधित प्रश्न अन्तर्विष्ट होंगे। इसमें राजस्थान सरकार के आदेशों के मैनुअल और उसके अद्यतन संशोधन में से प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

**5. सिंचाई सुधार उद्ग्रहण की वसूली:** इस प्रश्नपत्र में सिंचाई देयों एवं सुधार उद्ग्रहण की वसूली के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अधिकथित नियमों में से प्रश्न होंगे।

**6. आधारभूत कम्प्यूटर:** ऑपरेटिंग सिस्टम, एम.एस. ऑफिस (वर्ड, एक्सेल/स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट का एक्सपोजर)

**7. राजस्थान का भूगोल, संस्कृति और उसकी राज्य-व्यवस्था:** राजस्थान के राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, लोक नीति, मेले, त्योहार, लोक संगीत और लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति एवं धरोहर, साहित्य और प्रमुख पर्यटक स्थल की प्रशासनिक प्रणाली।

टिप्पणी: सभी प्रश्न पत्रों में कुल 10 प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य होंगे। सभी प्रश्नों के समान अंक होंगे।

**फाउन्डेशन पाठ्यक्रम:** सफल और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् निम्नानुसार कार्यक्रम अनुसार तीन मास की कालावधि के लिए फाउन्डेशन पाठ्यक्रम और व्यवहारिक प्रशिक्षण करना होगा:

(1) अभ्यर्थियों को 15 दिनों की कालावधि के लिए जिलेदारों के कार्यालय में उपस्थित होना होगा, जिसके दौरान वे विभिन्न प्ररूपों जैसे शुद्धकरण, खतौनी, ढालबाच, डिमांड स्लिप, सियाह प्ररूप, रसीद पुस्तिका प्ररूप, चालान प्ररूप और चक योजनाओं के ज्ञान से अवगत कराया जायेगा।

(2) जिलेदार कार्यालय से प्रारम्भिक जानकारी के पश्चात् अभ्यर्थियों को फील्ड ट्रेनिंग के लिए निदेशित किया जायेगा जहां वे पटवारी के साथ जुड़े रहेंगे। यह प्रस्तावित है कि प्रत्येक पटवारी के साथ दो से तीन अभ्यर्थी क्षेत्रीय प्रशिक्षण के लिए जुड़े रहेंगे। पटवारी के साथ जुड़े रहने की अवधि दो मास होगी। पटवारी अभ्यर्थियों को शुद्धकरण, खतौनी, ढालबाच, डिमांड स्लिप, कृषकों को रसीद जारी करने, स्याह प्ररूप में प्रविष्टि, और चालान आदि में प्रविष्टियां करने के कार्य में मार्गदर्शन करेंगे। अभ्यर्थियों को फील्ड में वर्ग, बीघा का क्षेत्रफल की पहचान भी बतायी जायेगी।

फील्ड में व्यवहारिक प्रशिक्षण लेने के पश्चात्, अभ्यर्थियों से, पुनः 15 दिन के लिए जिलेदार के कार्यालय में मतालबा तैयार करने संबंधी ज्ञान लेना, अपेक्षित होगा।"

[सं.एफ.2(20) डीओपी/ए-II/84]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

मुकुट बिहारी जांगिड़,

संयुक्त शासन सचिव।

## DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A-Gr.-II)

NOTIFICATION

Jaipur, November 10, 2025

**G.S.R.99** .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) Rules, 1967, namely:-

**1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Amendment of rule 2.-** In rule 2 of Rajasthan Engineering Subordinate Service (Irrigation Branch) Rules, 1967, hereinafter referred to as the said rules, after the existing clause (a) and before the existing clause (b), the following new clause (aa) shall be inserted namely:-

"(aa) "Board" means the Rajasthan Staff Selection Board;"

**3. Amendment of rule 7.-** In sub-rule (3) of rule 7 of the said rules, for the existing expression "by the Appointing Authority", the expression "by the Appointing Authority /Board" shall be substituted.

**4. Amendment of rule 14.-** In rule 14 of the said rules,-

(i) for the existing expression "Commission/Appointing Authority", the expression "Commission/Board/Appointing Authority" shall be substituted; and

(ii) In clause (a), for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Commission/Board" shall be substituted.

**5. Amendment of rule 16.-** In rule 16 of the said rules,

(i) for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Commission/Board" shall be substituted; and

(ii) for the existing expression "received by them", the expression "received by them/it" shall be substituted.

**6. Amendment of the rule 17.-** In rule 17 of the said rules, for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Commission/Board" shall be substituted.

**7. Amendment of the rule 18.-** In rule 18 of the said rules, for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Commission/Board" shall be substituted.

**8. Amendment of the rules 19.-** In rule 19 of the said rules, for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Commission/Board" shall be substituted.

**9. Amendment of the rules 20.-** In rule 20 of the said rules, for the existing expression "Commission", wherever occurring, the expression "Commission/Board" shall be substituted.

**10. Amendment of Schedule-I.-** In Schedule-I appended to the said rules, under heading Group-III, the existing serial number 3 and entries there to shall be substituted by the following, namely:-

"

|    |         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |
|----|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 3. | Patwari | 100% by direct recruitment | <p>(i) Bachelor's degree from a University established by law in India or any other equivalent qualification recognized by the Government; and</p> <p>(ii) "O" or Higher level certificate course conducted by NIELIT New Delhi/ DOEACC under control of the Department of Electronics, Government of India.</p> <p>or</p> <p>Computer operator &amp; Programming Assistant (COPA)/ Data Preparation and computer software (DPCS) certificate organized under National/State council or Vocational Training Scheme.</p> <p>or</p> <p>Degree/ Diploma/ in Computer Science/Computer application from a university established by law in India.</p> <p>or</p> <p>3 Year Diploma in computer Science &amp; Engineering from a polytechnic institution recognized by the Government.</p> <p>or</p> <p>Degree in any stream of Engineering and Technology from a University established by law in India.</p> <p>or</p> <p>Rajasthan State Certificate Course in Information Technology (RSCIT) conducted by Vardhman Mahaveer Open University, Kota under control of Rajasthan Knowledge Corporation Limited.</p> <p>or</p> <p>Senior Secondary from a recognized Board or its equivalent examination with the Computer Science/ Computer Application as one of the subjects.</p> <p>or</p> <p>Any equivalent or Higher Qualification recognized by the Government</p> <p><b>Explanation:</b> The decision of the Rajasthan Staff Selection Board or the Appointing Authority, as the case may be, regarding the qualification or higher qualification of computer possessed by a candidate shall be final.</p> | - | - | - |
|----|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|

"

**11. Substitution of Schedule-III.-** The existing Schedule-III appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

**"Scheme and Syllabus for written competitive examination for direct recruitment to the post of Patwari**

**1. Scheme of examination:-** The examination shall include one paper of 3 hours duration covering the following subjects:-

| Subject                                                                                        | Weightage |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| General Science; History, Polity and Geography of India;<br>General knowledge, current affairs | 25        |
| Geography, History, culture and polity of Rajasthan                                            | 20        |
| General English & General Hindi                                                                | 15        |
| Mental ability and reasoning, Basic Numerical efficiency                                       | 30        |
| Basic Computer                                                                                 | 10        |

**Note:**

1. The marks obtained by a candidate in examination will be counted for determining their order of merit.
2. The examination will contain multiple choice, objective type questions. There shall be negative marking. 1/3 mark shall be deducted for each wrong answer.
3. The minimum qualifying marks shall be 40% in the paper. These marks shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

**(Syllabus for written competitive examination for direct recruitment to the post of Patwari)**

1. General Science: History, Polity and Geography of India; General knowledge, current affairs
  - General Fundamentals of Science and Everyday Science, Human Body, Diet and Nutrition, Health Care.
  - Salient Features of Ancient and Medieval Indian History and Important Historical Events. (from mid-18th century to present)
  - Indian Constitution, Political System and Governance System, Constitutional Development
  - Geographical Features of India, Environmental and Ecological Changes and their Impacts.
  - Contemporary National Events.
2. Geography, History, culture and Polity of Rajasthan
  - Important historical events in the history of Rajasthan.
  - Administrative system of Rajasthan Governor, State Legislative Assembly, High Court, Rajasthan Public Service Commission, District Administration, State Human Rights Commission, State Election Commission, Lokayukta, State Information Commission, Public Policy
  - Socio-cultural issues.
  - Freedom movement, public awareness and political integration.
  - Folk arts, paintings and handicrafts and architecture.
  - Fairs, festivals, folk music and folk dances.
  - Rajasthani culture and heritage, literature.
  - Religious movements, saints and folk deities of Rajasthan.
  - Important tourist places.
  - Prominent personalities of Rajasthan.
3. General English & General Hindi
  - (i) सामान्य हिन्दी:-
    - दिये गये शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि-विच्छेद।
    - उपसर्ग एवं प्रत्यय इनके संयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एक प्रत्यय को पृथक करना, इनकी पहचान।

- समस्त (सामासिक) पद की रचना करना, समस्त (सामासिक) पद का विग्रह करना।
- शब्द युग्मों का अर्थ भेद।
- पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द।
- शब्द शुद्धि - दिये गये अशुद्ध शब्दों को शुद्ध लिखना।
- वाक्य शुद्धि वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को छोड़कर वाक्य संबंधी अन्य व्याकरणीय अशुद्धियों का शुद्धीकरण।
- वाक्यांश के लिये एक उपयुक्त शब्द।
- पारिभाषिक शब्दावली-प्रशासन से सम्बन्धित अंग्रेजी शब्दों के समकक्ष हिन्दी शब्द।
- मुहावरे एवं लोकोक्ति

## (ii) General English

- Comprehension of unseen passage.
- Correction of common errors; correct usage.
- Synonym/antonym.
- Phrases and idioms.

## 4. Mental ability and reasoning, Basic Numerical efficiency

- Making series/analogy.
- Figure matrix questions, Classification.
- Alphabet test.
- Passage and conclusions
- Blood relations.
- Coding-decoding
- Direction sense test.
- Sitting arrangement.
- Input output.
- Number Ranking and Fore Square.
- Making judgments.
- Logical arrangement of words.
- Inserting the missing character/number.
- Mathematical operations, average, ratio.
- Area and volume.
- Percent.
- Simple and compound interest.
- Unitary Method
- Profit & Loss.

## 5. Basic Computer

- Characteristics of Computers.
- Computer Organization including RAM, ROM, File System, Input Devices, Computer Software- Relationship between Hardware & Software.
- Operating System
- MS-Office (Exposure of word, Excel/Spread Sheet, Power Point)"

**12. Substitution of Schedule-III-A.-** The existing Schedule-III-A appended to the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

**"Scheme and Syllabus for training of candidates selected for appointment to the post of Patwari**

1. **Scheme of examination:** The examination shall include one paper of 3 hours duration covering the following subjects:-

| S. No. | Name of Papers                             | Marks |
|--------|--------------------------------------------|-------|
| 1.     | Arithmetic & Mensuration                   | 100   |
| 2.     | Record of Rights & Mapping                 | 50    |
| 3.     | Shudkar & Khatauni                         | 100   |
| 4.     | Irrigation Drainage Act & Revenue Manual   | 100   |
| 5.     | Realisation of Irrigation betterment levy  | 50    |
| 6.     | Basic Computer                             | 50    |
| 7.     | Geography, culture and polity of Rajasthan | 50    |

The minimum qualifying marks shall be 36% in each of the paper.

### Syllabus

1. **Arithmetic & Mensuration:** This paper shall be of Secondary Standard.

(i) **Arithmetic**

- (1) Simplification.
- (2) Square.
- (3) Decimal (Multiplication & Division).
- (4) Percentage calculation & Profit & Loss.
- (5) Interest (Simple & Compound).
- (6) Work, Time and Wages.
- (7) Any other question of matric standard.

(ii) **Mensuration:**

- (1) Length, area & volume calculations.
- (2) Circumference perimeter of Matric Standard Geometrical figures.
- (3) Conversion of Bighas, Bishwas to Acres & Hectares etc.

2. **Records of Rights & Mapping:**

- (1) Area & drawing sketches of Geometrical figures.
- (2) Entries of survey work in field books & calculation of area etc. of the figures of survey record.
- (3) Courses canal, roads, abadi in uncommand, Railway Line etc.

3. **Shudkar & Khatauni:** This paper will consist of the entry in shudkar, preparation of purchasem Khataunies dalbach & other records relating to shudkar & Khatauni.

4. **Irrigation Drainage Act & Revenue Manual:** This paper will consist of the question from Rajasthan Irrigation and drainage Act, 1954, Rajasthan Irrigation and drainage Rules 1955, and its upto date amendments. It will also include the question from Manual of orders of Rajasthan Government and its upto date amendments.

5. **Realisation of Irrigation betterment levy:** This paper will consist of the questions from rules laid down by Government of Rajasthan for realisation of Irrigation dues & betterment levy.

6. **Basic Computer:** Operating System, MS-Office (Exposure of word, Excel/ Spreadsheet, Powerpoint).

7. **Geography, culture and polity of Rajasthan:** Administrative system of Rajasthan Governor, State Legislative Assembly, High Court, Rajasthan Public Service Commission, District Administration, State Human Rights Commission, State Election Commission,

Lokayukta, State Information Commission, Public Policy, Fairs, Festivals, Folk Music and Folk Dance Rajasthani Culture and Heritage, Literature, important tourist places.

NOTES: There will be 10 questions in all the question papers, out of them any five questions will have to be answered. All the questions will carry equal marks.

**FOUNDATION COURSE :** The successful and selected candidate will have to undergo for foundation course and practical training for a period of three months after appointment as per programme as under:

(1) The candidates will be attending to the office of Zileedars for a period of 15 days during which they will be acquainted with the different Forms i.e. Shudkar, Khatauni, Dalbach, Demand slip, Siah Forms, Receipt Book Forms, Challan Forms & Knowledge of chak-plans.

(2) After having the primary knowledge from the Zileedar office, the candidates will be directed to the field training where they will be attached with the Patwaries. It is proposed that 2 to 3 candidates will be attached with each Patwari for training in the field. The duration of attachment with the Patwari will be of two months. The Patwari will be guiding the candidates for the work of making entries in Shudkar, Khatauni, Dalbach, Demand Slip, issue of receipt of Cultivators, entry in Siah Forms and Challan etc. The candidates will also be told to identify areas of Square, Bighas in the field.

After taking practical training in the field, the candidates will again be required to attend the office of the Zileedar for a period of 15 days, to have the knowledge of preparing Matalba.”

[No.F.2(20)DOP/A-II/84]

**By order and in the name of the Governor,  
MUKUT BIHARI JANGID,  
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.**

---

**Government Central Press, Jaipur.**